

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वा...

श्री सुरेन्द्र कुमार
द्वारा आज दि. 16-3-16 प्रकरण कमांक
प्रस्तुत

16-3-16
म.प्र. मालिक

Stamman
Agar

शाखा प्रभारी (रा. म.)
कार्यालय महाविद्यालय, मन्डल

2016 पुनरीक्षण सिंग - 910-II-K

सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री
ठाकुरप्रसाद गोस्वामी निवासी- ग्राम
बूदौर तहसील इसानगर, जिला
छतरपुर, म०प्र० --आवेदक

बनाम

1. श्रीमती मीरादेवी पत्नी श्री मनमोहन
बादल निवासिनी- ग्राम बूदौर
तहसील ईसानगर, जिला छतरपुर,
म०प्र०

2. म०प्र० शासन --अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता
1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी 08/01/2016 एवं
आदेश दिनांक 11/01/2016 पारित द्वारा राजस्व
निरीक्षक मण्डल ईसानगर, तहसील छतरपुर जिला
छतरपुर, प्रकरण कमांक 13/अ-12/2015-16 व
उनवान श्रीमती मीरादेवी बनाम म०प्र० शासन ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, अनावेदिका कमांक 1 द्वारा ग्राम बूदौर में स्थित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी 910-~~2~~1/2016

जिला छतरपुर

सुरेन्द्र विरूद्ध मीरादेवी व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल ईसानगर के प्रकरण क्रमांक 13/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 08-01-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 	

M


 (आर.के. जैन)
 सदस्य

31.12.18